बिहार विधायिका सभा वादवृत्त

बृहस्पतिवार तिथि २२ दिसम्बर १९४९।

भारत शासन विधान १९३५ के प्रत्यावधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य विवरण।

सभा की बैठक पटने के सभा-वेश्म में बृहस्पतिवार तिथि २२ दिसम्बर १९४९ को ११-३० बजे पूर्वान्ह में माननीय प्रमुख श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुई :

(ग) किसानों के बीच बांटे जानेवाले बीज के किस्म में सुधार और इसे काफी मात्रा में देने की सभी कोशिशें की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में किसानों को और भी सुविधा देने के लिए अच्छे किस्म के बीज के अधिक उत्पादन की योजना का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। यदि वे किसान जो रजिस्टर्ड उत्पादन नियुक्त किये गये हैं इसकाम में सरकार को पूर्ण सहयोग दें तो यह विभाग अपने कार्य-क्रम में सफलता प्राप्त कर सकता है और काला न्तर में विड़ौल थाने को भी इस कार्य-क्रम की सफलता से लाभ होगा।

बघहा का स्टील कारपोरेशन।

२४० । श्री मोसाहेब सिंह : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या आयरन स्टील कारपोरेशन, बघहा नामक लोहेका सम्बन्ध रखने वाला कोई फर्म है;

(ख) यदि खण्ड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक ह तो उक्त फर्म को कुल कितने टन लोहें का परमिट मिला है ?

माननीम डा० सैयद महमूद : (क) इस नाम का एक फर्म था लेकिन अब उसे माल नहीं दिया जाता।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता

महेंश भगत के स्टौकिस्ट के लिये दरखास्त।

२४१ श्री रामगुलाम चौधरी : क्या माननीय मन्त्री विकाश यिभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि महेंश भगत नामक व्यक्ति ने दानापुर के लिए लोहें के स्टौकिस्ट होने की दरखास्त दीथी और इस सम्बन्ध में जांच भी हुई थी;

(ख) यदि खण्ड (क) का उत्तर हां है तो लाईसेंस अभी तक नहीं देने का कारण क्या है ?

माननीय डा० सैयद महमूद : (क) दरख्वास्त की संख्या और उसे देने की तारीख जब तक नहीं बताई जाय, दरख्वास्त को खोज निकालना संभव नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

कमर्शियल टेक्स इन्सपेक्टरों की बहाली ।

२४२ । श्री बदीऊ जमां : क्या माननीय अर्थ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि डिपुटी कमिश्नर, कमर्शियल टैक्सेज, ने ता० १९ जनवरी १९४९ को कुछ इंसपेक्टरों (कमर्शियल टेक्स) की बहाली के लिए आर्डर पास किया था जिनका इन्टरव्यू तथा परीक्षा सितम्बर १९४८ में ही दिसम्बर १९४७ के विज्ञापन के अनुसार की थी । उन पदों पर बहाली की आवश्यकता बताते उन्होंने कहा था कि इन्सपेक्टरों की कमी से दस हजार रुपये रेवेन्यू की क्षति हुई हैं ;

(ख) यदि खण्ड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उनमें कोई मुसलमान उम्मीदवार भी थे जिनकी बहालियों के लिए आडर पास किये गये थे, उन में कौन कौन थे और उनकी क्या योग्यता थी और उनमें राजनैतिक पीड़ित कितने थे और क्या जिनके लिए बहाली का हुक्म पास किया गया था उन्हें काम करने का हुक्म दे दिया गया ; यदि नहीं तो क्यों ;

(ग) क्या यह बात सही है कि सरकार के राजनीति-विभाग (पौलिटीकल डिपार्टमेंट) के सरकुलर नं० १९१६३ सी०, ता० २ सितम्बर १९४८ की अवहेलाना करते हुए राजनीतिक पीड़ित उम्मीदवारों को योग्य पाकर भी अक्टूबर १९४८ में अन्य व्यक्तियों की बहाली की गयी और राजनीतिक पीड़ितों को इन्तजार की सूचि में रखा गया ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : (क) यह सही है कि डिपुटी कमिश्नर ने जनवरी १९४९ में यह कामचलाऊ निश्चय किया था कि इन्सपेक्टरों के नबस्वीकृत और नवविज्ञापित पदों पर सितम्बर, १९४८ में साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों में से सरकारी कार्य के अनूभवी कुछ